



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/71/2019- 1190

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 17/09/2025

विषय- कैमूर जिलान्तर्गत मुण्डेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.3094 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/42268/2019/531, दिनांक 28.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा कैमूर जिलान्तर्गत मुण्डेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.3094 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक 950(अनु०), दिनांक 18.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 28.08.2024 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.		
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (2.6 ha JJ) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए रु० 27,21,920.00 (रु० सताईस लाख इक्कीस हजार नौ सौ बीस) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506219942268446, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 01.10.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-PUNBR52024100113173658 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/ PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सी.ए. के लिए प्रस्तावित भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-06/खा.म. कैमूर-23/2022-81(6) /रा., पटना-15, दिनांक 15.01.2025, जमाबंदी संख्या-200145500045463, पृष्ठ संख्या-93 (प्रति संलग्न) के अनुसार विभाग को हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया गया है।
3	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.3094 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कुल रु० 80,43,580/- (अस्सी लाख तैतालीस हजार पाँच सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506219942268446, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 01.10.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-PUNBR52024100113173658 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
5	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch	अपयोजित किये जाने वाले क्षेत्र और सी.ए. क्षेत्र की के.एम.एल. फाईल सभी अपेक्षित विवरणी के साथ e-Green watch portal पर अपलोड कर दिया जायेगा।
6	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
7	A Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/wastage generated	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	Violation of any of these conditions will amount to violation	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:		
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.6 ha. Jangal Jhari land (Site – Plot No.643, 462; Thana no.366, Mauza-Tori, Bhagwanpur Block, Bhabua range, Kaimur Forest Division, Bhabua) at the cost of the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
4	Modern technology will be used in tree-translocation which shall be preferred way of removing tree falling	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The height of the ropeways shall be maintained with minimum clearance of 5 meters from the highest treeline.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
11	Earth or any other material shall not be brought from and debris	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
16	The diverted forest area shall be accessible to forest department	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
17	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.3094 हे० वन भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

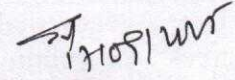
(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/71/2019- 1190

दिनांक— 17/09/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ एवं वनीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., कार्य प्रमंडल, आरा को सूचना हेतु प्रेषित।

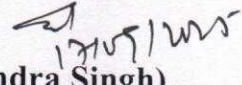


(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi																				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Kaimur/ Kaimur Forest Division, Bhabhua.																				
3	Name of User Agency nature of proposal	senior project engineer, BSBCCL, Working division, Ara,/ Construction of Mundeshwari ropeway work project																				
4	Extent of forest area involved	1.3094 Ha.																				
5	Whether Original, or extension	Original																				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-																				
7	Date of 1st stage Clearance	28.08.2024																				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.																					
	a.Compensatory Afforestation	27,21,920/-																				
	b. Additional CA	-NA-																				
	C. Penal CA	-NA-																				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-																				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-																				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-																				
	g. Net present Value	80,43,580/-																				
	h. Penal NPV	-NA-																				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">S.No</th><th style="width: 15%;">MODE Remtt.</th><th style="width: 35%;">UTR No. & Date</th><th style="width: 20%;">Amount</th><th style="width: 20%;">Head</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>e-challan</td><td>PUNBR5202410011</td><td>80,43,580/-</td><td>NPV</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>3173658 dated 01.10.2024</td><td>27,21,920/-</td><td>CA</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total-</td><td>1,07,65,500/-</td><td></td></tr> </tbody> </table>	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head	1	e-challan	PUNBR5202410011	80,43,580/-	NPV	2		3173658 dated 01.10.2024	27,21,920/-	CA	Total-			1,07,65,500/-	
S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head																		
1	e-challan	PUNBR5202410011	80,43,580/-	NPV																		
2		3173658 dated 01.10.2024	27,21,920/-	CA																		
Total-			1,07,65,500/-																			
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.																				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above sent to Union Bank of India on dt. 01.10.2024																				
12	Any other remarks																					


(Surendra Singh)
 Signature of APCCF (CAMPA)-
 cum-Nodal Officer (FC), Bihar.